

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती ( आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 102/2022

दर्ज दिनांक:-20.09.2022

जीसीएमएस नम्बर :- 2022/345

अन्तर्गत धारा :- 53, 188

अनवान

1. भगवान पिता अमरा कुमावत निवासी गाडरीखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. धन्ना पिता अमरा कुमावत निवासी गाडरीखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. अम्बालाल पिता डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कालुराम पिता दौला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गोपश पिता भोजा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. डाली पत्नि जोधराज कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. देउ पत्नि भोजा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बालु पिता दौला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. भंवरी पुत्री जोधराज कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रामेश्वर पिता जोधराज कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सुरेश चन्द्र पिता परशुराम कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सुशीला पुत्री भोजा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. सायरी पुत्री दौला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. सीमा पुत्री भोजा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. सोसर पुत्री दौला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. हीरालाल पिता रामलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज - अधिवक्ता वादीगण
2. हरिश चन्द्र टेलर - अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वारते अंतिग डिक्री जारी करने बाबत)

:: निर्णय ::

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पूर्व आदेश

दिनांक :- 17/11/25



दिनांक 30.01.2025 के द्वारा प्रकरण संख्या 102/2022 में राजस्व ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आवादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के संयुक्त खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 172 में अंकित आराजी संख्या 2192/42 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 41 रकबा 0.72 है0 कुल किता 2 कुल रकाव 0.73 भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा, तथा शेष प्रतिवादीगण के निहित हिस्से का मौके पर कब्जे अनुसार बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2025/629 दिनांक 03.06.2025 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
3. वादीगण एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 व धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच लोक अदालत की भावना से राजीनामें हो गया है उसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जिसके अनुसार अन्तिम डिक्री जारी फरमाई जावे। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी फरमाने की कृपा करावे।
4. वादीगण एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 व धारा 151 जा.दी. का न्यायालय द्वारा गहनता से अध्ययन करने से पाया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच लोक अदालत की भावना से आपसी समझौता हो गया है एवं उसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
5. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	भगवान पिता अमरा 1/2, धन्ना पिता अमरा 1/2 कुमावत सा.देह खातेदार	ग्राम थला (खाता संख्या 172)	(2192/42)/1 41/1	0.0050 0.2716
		योग	2	0.2766
2	1. अम्बालाल पुत्र डालु 305/4534 कुमावत सा.देह 2. कालुराम पुत्र दोला 263/4534 कुमावत सा.देह 3. गोपेश पुत्र भोजा 42/4534 कुमावत सा.देह रहन व.रा.क्षे.ग्रा.वै. शाखा	ग्राम थला (खाता संख्या 172)	(2192/42)/2 41/2	0.0050 0.4484



*(Handwritten signature)*

रायपुर			
4. डालीदेवी पत्नि जोधराज 166/4534 कुमावत सा.देह रहन व.रा.क्षे.ग्रा.बै. शाखा रायपुर			
5. देउदेवी पत्नि भोजा 42/4534 कुमावत सा.देह रहन व.रा.क्षे.ग्रा.बै. शाखा रायपुर			
6. बालुराम पुत्र दोला 663/4534 कुमावत सा.देह			
7. भंवरी पुत्र जोधराज 166/4534 कुमावत व.रा.क्षे.ग्रा.बै. शाखा रायपुर,			
8. रामेश्वरलाल पुत्र जोधराज 166/4534 कुमावत सा.देह रहन व. रा.क्षे.ग्रा.बै. शाखा रायपुर			
9. सुरेशचन्द्र पुत्र परशुराम 913/4534 कुमावत सा.देह			
10. सुशीला पुत्री भोजा 41/4534 कुमावत सा.देह रहन व.रा.क्षे.ग्रा.बै. शाखा रायपुर			
11. सायरी पुत्री दोला 663/4534 कुमावत सा.देह			
12. सीमा पुत्री भोजा 41/4534 कुमावत सा.देह रहन व.रा.क्षे.ग्रा.बै. शाखा रायपुर			
13. सोसर पुत्री दोला 663/4534 कुमावत सा.देह			
14. हीरालाल पुत्र रामलाल 400/4534 कुमावत सा.देह			
	योग	2	0.4534

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामों के अनुसार सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 23 के नियम 3 के उपनियम 3क के अनुसार डिक्री अपास्त करने के लिए ऐसा कोई वाद पुनः इस आराजियात बाबत प्रस्तुत नहीं किया जायेगा कि समझौता हुआ है जिस पर डिक्री आधारित है, उक्त समझौता विधिपूर्ण नहीं था। उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे। उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।



विषय आज दिनांक 17/11/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करुणा लाड़ोती)  
सहायक कलक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में डिक्री  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती ( आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 102/2022

दर्ज दिनांक:-20.09.2022

जीसीएमएस नम्बर :- 2022/345

अन्तर्गत धारा :- 53, 188

अनवान

1. भगवान पिता अमरा कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. धन्ना पिता अमरा कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. अम्बालाल पिता डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कालुराम पिता दौला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गोपश पिता भोजा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. डाली पत्नि जोधराज कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. देउ पत्नि भोजा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बालु पिता दौला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. भंवरी पुत्री जोधराज कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रामेश्वर पिता जोधराज कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सुरेश चन्द्र पिता परशुराम कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सुशीला पुत्री भोजा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. सायरी पुत्री दौला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. सीमा पुत्री भोजा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. सोसर पुत्री दौला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. हीरालाल पिता रामलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज - अधिवक्ता वादीगण
2. हरिश चन्द्र टेलर - अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11



निर्णय दिनांक :  
डिक्री दिनांक :

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री जाकिर हुसैन रंगरेज व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री हरिशचन्द्र टेलर व पैरोकार सरकार को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 23 के नियम 3 के उपनियम 3क के अनुसार डिक्री अपास्त करने के लिए ऐसा कोई वाद पुनः इस आराजियात बाबत् प्रस्तुत नही किया जायेगा कि समझौता हुआ है जिस पर डिक्री आधारित है, उक्त समझौता विधिपूर्ण नही था। प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।


क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	भगवान पिता अमरा 1/2, धन्ना पिता अमरा 1/2 कुमावत सा.देह खातेदार	ग्राम थला (खाता संख्या 172)	(2192/42)/1 41/1	0.0050 0.2716
		योग	2	0.2766
2	1. अम्बालाल पुत्र डालु 305/4534 कुमावत सा.देह 2. कालुराम पुत्र दोला 263/4534 कुमावत सा.देह 3. गोपेश पुत्र भोजा 42/4534 कुमावत सा.देह रहन ब.रा.क्षे.ग्रा.बै.शाखा रायपुर 4. डालीदेवी पत्नि जोधराज 166/4534 कुमावत सा.देह रहन ब.रा.क्षे.ग्रा.बै. शाखा रायपुर 5. देउदेवी पत्नि भोजा 42/4534 कुमावत सा.देह रहन ब.रा.क्षे.ग्रा.बै. शाखा रायपुर 6. बालुराम पुत्र दोला 663/4534 कुमावत सा.देह 7. भंवरी पुत्र जोधराज 166/4534 कुमावत ब.रा.क्षे.ग्रा.बै. शाखा रायपुर, 8. रामेश्वरलाल पुत्र जोधराज 166/4534 कुमावत सा.देह रहन ब. रा.क्षे.ग्रा.बै. शाखा रायपुर 9. सुरेशचन्द्र पुत्र परशुराम 913/4534 कुमावत सा.देह 10. सुशीला पुत्री भोजा 41/4534 कुमावत सा.देह रहन ब.रा.क्षे.ग्रा.बै. शाखा रायपुर 11. सायरी पुत्री दोला 663/4534 कुमावत सा.देह 12. सीमा पुत्री भोजा 41/4534 कुमावत सा.देह रहन ब.रा.क्षे.ग्रा.बै.शाखा रायपुर 13. सोसर पुत्री दोला 663/4534 कुमावत सा.देह 14. हीरालाल पुत्र रामलाल 400/4534 कुमावत सा.देह	ग्राम थला (खाता संख्या 172)	(2192/42)/2 41/2	0.0050 0.4484
		योग	2	0.4534



*(Handwritten signature)*

नीज .....Nil.....मुबलिंग ..... Nil .....बाबत् ..... Nil .....  
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की  
 तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।


बशब्द सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के दस्तखत व मुहर अदालत के आज  
 तारीख 17/11/2025 को जारी किया गया।

  
 (करुणा लाडोती)

सहायक कलक्टर पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मुद	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत् इजराय हुकमनामा	—		बाबत् इजराय हुकमनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		



  
 सहायक कलक्टर पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)